न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 47 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 47

1. मदालसा पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी अबूबशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
2. विश्वास पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी अबूबशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

--- अपीलाण्ट

बनाम

1. अंजना पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी अबूबशहर हाल वार्ड नम्बर, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. शक्ति पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी अबूबशहर हाल वार्ड नम्बर, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, टिब्बी।

–रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2021
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी
अनवान "मदालसा आदि बनाम अंजना व अन्य" प्र. सं. 168 / 2021

श्री बलविन्द्र सिह अधिवक्ता अपीलांट
श्री सोहनलाल सहारण अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं0 1 व 2
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अभिभाषक रेस्पे0 सं0 3

निर्णय   दिनांक 30·9·2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी "मदालसा आदि बनाम अंजना आदि " मुकदमा नम्बर 168 / 2021 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से चक नं0 6 केएचआर के पत्थर नम्बर 230 / 211 मु0 नं0 9 किला नम्बर 4 / 1 / .228, 4 / 2 / .025, 5 / 1 / .228, 5 / 2 / .025, 6 / .253, 7 / .253, 14 / .253, 15 / .253, पत्थर नम्बर 231 / 211 मु0नं0 10 किला नम्बर 1, 2, 9, 10 व चक 7 केएचआर के पत्थर नम्बर 221 / 211 मु0नं0 24 किला नम्बर 21, 22, 23 / 1 / .127, पत्थर नम्बर 221 / 212 मु0नं0 27 किला नम्बर 1 / 1 / .228, 1 / 2 / .025,

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.012, 3/2/.114, पत्थर नम्बर 225/210 मु0नं019 किला नम्बर 24, 25/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 225/215 मु0नं0 28 किला नम्बर 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025 व चक 1 एफटीपी (ए) के पत्थर नम्बर 217/228 मु0नं0 11 किला नम्बर 5/2/.139, 6, 8, 12 ता 19, 22 ता 25 व पत्थर नम्बर 217/229 मु0नं0 22 किला नम्बर 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/.228, 5/2/.025, 6 ता 9, 12 ता 15, पत्थर नम्बर 218/228 मु0नं0 10 किला नम्बर 10, 11, 20, 21, पत्थर नम्बर 218/229 मु0नं0 23 किला नम्बर 1/1/.228, 1/2/.025, 10, 11 आराजी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य काफी अर्सा पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है व मुताबिक घरू बंटवारा ही काश्त करते आ रहे हैं व इसी अनुसार रकम राज व आबयाना खजानाराज जमा करवाते चले आ रहे हैं। घरू बंटवारा में वादीगण व प्रतिवादीगण को वाद पत्र की दफा–3 के अनुसार भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण को यहां कम आराजी इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि वादीगण व प्रतिवादीगण की हरियाणा के गांव अबूबशहर की आराजी वादीगण को दी जा चुकी है व उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन भी हम वादीगण के पति व पिता के नाम से हो चुका है। वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने के कारण वादीगण के कानूनी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है व वादीगण के कानूनी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वाद पत्र की दफा–3 के अनुसार आराजी वादीगण अपने नाम से अंकन करवाकर अपनी आराजी का खाता तकसीम करवाकर रकमराज अलग से कायम करवाना चाहते हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वाद पत्र की दफा–3 में दर्ज बंटवारा में प्राप्त आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने व वादीगण की भूमि का खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये।

2. प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है। हमारा आपस में वाद पत्र की दफा–3 के अनुसार बंटवारा किया हुआ है व वाद पत्र की दफा–3 के अनुसार ही हम अपनी आराजी पर काबिज हैं व अपनी आराजी की रकमराज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे हैं इसलिये वाद पत्र की दफा–3 में दर्ज बंटवारा में प्राप्त आराजी के अनुसार भूमि वादीगण व हम प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चक नम्बर 6 केएचआर के खाता संख्या 119/93 में प्रतिवादी संख्या–2 शक्ति का नाम कलमजन, चक 7 केएचआर के खाता संख्या 71/15 में से प्रतिवादीया संख्या–1 अंजना का नाम कलमजन व चक 1 एफटीपी (ए) के खाता संख्या 38/36 में से वादीया संख्या–1 मदालसा का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नहीं है।

3. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किये व स्टेट द्वारा अपना जवाबदावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 29.07.2021 को निर्णय व डिक्री पारित कर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया गया। इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने चक 7 केएचआर, 6 केएचआर व चक 1 एफटीपी (ए) की कुछ भूमि को सहमति के आधार पर डिक्री करने, पक्षकार मुकदमा के नाम अलग अलग भूमि को विभाजित करने व उक्त डिक्री को अपीलार्थीगण के साथ धोखा से सहमति प्राप्त कर प्रत्यर्थीगण संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

व 2 के द्वारा प्राप्त करने के कथनों सहित यह अपील दफा–5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य वैश्वासिक सम्बंध होने के कारण मूल वाद को महज अच्छी मंदी के लिहाज से विभाजन करवाने के आधार पर प्रस्तुत करवाए जाने का कहकर प्रत्यर्थी संख्या–1 के पति व प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता श्री रामकुमार ने विभाजन के वाद को घोषणात्मक प्रकृति का वाद बनाकर अपीलार्थीगण से प्रस्तुत करवाया। उपरोक्त तीनों चकों में अपीलार्थीया संख्या–1 का 19 बीघा 10 बिस्वा का हिस्सा व उसके पुत्र विश्वास का हिस्सा 7 बीघा 15 बिस्वा का दर्ज था जो कुल 26 बीघा 15 बिस्वा का बनता है परन्तु उक्त डिक्री के जरिये अपीलार्थीगण को महज दो चकों अर्थात चक 7 केएचआर व 6 केएचआर में महज 21 बीघा भूमि ही दी गई व शेष भूमि कम कर दी गई। प्रत्यर्थीया संख्या–1 का तीनों चकों में कुल हिस्सा 22 बीघा 6 बिस्वा व उनके पुत्र प्रत्यर्थी संख्या–2 का हिस्सा 5 बीघा कुल 27 बीघा 6 बिस्वा दर्ज था परन्तु प्रत्यर्थीया संख्या–1 को 25 बीघा 11 बिस्वा व शक्ति पुत्र रामकुमार को 8 बीघा भूमि कुल 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि डिक्री से प्राप्त हुई है। अपीलार्थीगण को चक 1 एफटीपी (ए) में अपीलार्थीया संख्या–1 का हिस्सा 4.244 हैक्टेयर होने के बावजूद भी कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थीगण को अपने वैध हिस्सा से भी कम भूमि अपीलकृत डिक्री के अनुसरण में दी गई जो कि कई टुकड़ों में विभाजित की गई है तथा इन टुकड़ों के लिए कोई रास्ता व खाला की सुविधा नहीं दी गई। अपीलार्थी उस डिक्रीशुदा कृषि भूमि को सुविधापूर्वक काश्त ही कर पायेंगे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के सम्बंध में कोई पूछताछ नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया। अपीलांट के साथ भूमि के सम्बंध में ऐसा कोई राजीनामा हीं हुआ अगर ऐसा कोई राजीनामा होता तो इस सम्बंध में रेस्पोडेंट कब्जा के सम्बंध में गिरदावरी प्रस्तुत करता तथा अधीनस्थ न्यायालय ने कोविड जैसी महामारी के चलते वद पत्र डिकी किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई राजीनामा पेश नहीं हुआ। कोविड काल में अपीलांट अपने घर से बाहर नहीं निकले। अधीनस्थ न्यायालय ने महज विरोधी पक्ष की स्वीकृति के आधार पर वाद डिक्री किया है। रेस्पोडेंट ने फ्रॉड के आधार पर उक्त डिक्री प्राप्त की है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 29.07.2021 की है। अपीलांट ने उक्त अपील दिनांक 24.02.2022 को प्रस्तुत की है। अपीलाधीन निर्णय व डिकी के बारे में अपीलार्थीगण को गुमराह किया गया। अपीलार्थीगण को यही बताया कि उनके हिस्सा मुताबिक खाता विभाजन की डिकी पारित की गई है परन्तु अपील करने से दो दिन पूर्व अपीलार्थी को रेस्पोडेंट द्वारा किये गये कपट का पता चला। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं इसके अनुसरण में राजस्व मण्डल अजमेर द्वसरा प्रसारित नोटिफिकेशन के अन्तर्गत कोविड काल में अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा में छूट दी गई है अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिकी को अपास्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद पत्र अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट संख्या–1 के पति एडवोकेट हैं व अपीलांट संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1 व 2 पढ़े लिखे हैं। अपीलांट संख्या–1 व रेस्पोडेंट संख्या–1 परस्पर बहनें हैं तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य घराघरू बंटवारा हुआ था। अपीलांट को जमीन घरू बंटवारा के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कम इसलिए दी गई कि अपीलांट व उसके परिवार को अबूबशहर में सम्पत्ति दी गई। दावा अपीलांट ने ही प्रस्तुत किया है तथा उसके साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात् दिनांक 09.04.2021 को अपीलांट संख्या–1 ने अपना शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है व दिनांक 28.07.2021 को भी अपीलांट संख्या–1 का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है जिसमें अपीलांट ने यह कथन किये हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंट ने काश्त की सहूलियत से चक 6–7 केएचआर व चक 1 एफटीपी व अबूबशहर की आराजी का घराघरू बंटवारा कर लिया है। अपीलांट ने चक 6–7 केएचआर की आराजी घरू बंटवारा में मिली है व अबूबशहर की आराजी अपीलांट को घरू बंटवारा में मिली है व चक 1 एफटीपी–ए की आराजी घरू बंटवारा में रेस्पोडेंट को प्राप्त हुई है। रेस्पोडेंट की ओर से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का इकबालदावा दिया गया है। चूंकि अपीलांट के वाद पत्र में इकबालदावा दिया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की है। निर्णय व डिक्री पारित होने से पूर्व अपीलांट ने शपथ पत्र दिनांक 28.07.2021 प्रस्तुत किया जिस पर पहचान उसके वकील द्वारा की गई है। रेस्पोडेंट ने धारा 96 (3) सिविल प्रकिया संहिता की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया तथा निवेदन किया कि पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री पारित की है उसकी कोई अपील नहीं हो सकती। अपीलांट ने ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना हेतु इजराय प्रस्तुत की तथा इस सम्बंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2018 पेज 485 व डीएनजे 2022 (1) रेवेन्यू पेज 356, डीएनजे 2022 (1) रेवन्यू पेज 565 व आरआरडी 2015 पेज 84 प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं है तथा दफा–5 पर बहस करते हुए रेस्पोडेंट ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अपीलांट को शुरू से ज्ञान रहा है अपील मियाद बाहर है तथा दफा–5 प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा प्रसारित नोटिफिकेशन के अन्तर्गत कोविड काल में अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा में छूट दी जाने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील का गुणावगुणों के आधार पर अंतिम निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किया गया जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा वाद पत्र के साथ अपीलांट का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया जो ओथ कमिशनर से अटेस्टेड है व दिनांक 09.04.2021 को भी अपीलांट की ओर से बिना तस्दीक किया शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व तत्पश्चात् दिनांक 28.07.2021 का भी शपथ पत्र अपीलांट संख्या–1 का प्रस्तुत किया गया तथा उक्त शपथ पत्र के साथ अपीलांट संख्या–1 के पति का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया जिस पर अपीलांट संख्या–1 के पति के हस्ताक्षर हैं। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट पढ़े लिखे है व अपीलांट संख्या–1 का पति एडवोकेट है। यह तथ्य विश्वास योग्य नहीं है कि अपीलांट संख्या–1 के पति को हस्तगत वाद पत्र का ज्ञान न हो अथवा अपीलांट संख्या–1 के पति ने वाद पत्र में दर्ज कथनों का उन्हें ज्ञान न हो। अपीलांट का अधिवक्ता रूपराम कासनिया है व रेस्पोडेंट के अधिवक्ता अब्दुल सतार जोईया है। दोनों पक्षकारों के अलग

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (रा.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अलग अधिवक्ता हैं। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दोनों पक्षकारों की सहमति से पारित की गई है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी में प्रदान किया गया है। धारा 96 (3) जाब्ता दीवानी के अनुसार पक्षकारों की सहमति से पारित डिक्री के विरूद्व अपील नहीं होगी तथा रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2022 (1) रेवन्यू पेज 565 व आरआरडी 2015 पेज 84 के अनुसार इकबाली जवाबदावा पेश करने के बाद प्रतिवादीगण उनका कथन परिवर्तित नहीं कर सकते। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट का वाद पत्र था जिसमें इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपीलांट अपने वाद पत्र पेश करने के बाद उसमें दी गई स्वीकृति परिवर्तित नहीं कर सकते। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी आरआरडी 2015 पेज 84 में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई पक्षकार राजीनामा पर प्रश्नचिन्ह लगाता है तो उसे यह साबित करना होगा कि राजीनामा किस प्रकार विधि विरूद्व है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट यह साबित करने में असफल रहा है कि निर्णय एवं डिकी किस प्रकार से विधि विरूद्व है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2018 पेज 84 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पक्षकारों की सहमति से हुई डिकी के विरूद्व अपील चलने योग्य नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में अपील अपीलांट विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एव सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.9.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

30/9/22
(करतार सिंह पूनियाँ आरएएस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर0ए0एस0

अपील संख्या – 47 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 47

1. मदालसा पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी अबूबशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
2. विश्वास पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी अबूबशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

— अपीलाण्ट

बनाम

1. अंजना पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी अबूबशहर हाल वार्ड नम्बर, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. शक्ति पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी अबूबशहर हाल वार्ड नम्बर, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, टिब्बी।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2021

द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी टिब्बी

अनवान "मदालसा आदि बनाम अंजना व अन्य" प्र. सं. 168 / 2021

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री बलविन्द्र सिह अधिवक्ता अपीलांट श्री सोहनलाल सहारण अभिभाषक रेस्पोडेंट की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2021 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 30.9.22 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

30/9/22

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़